प्रेस-नोट

थाना सीपरी बाजार, जनपद झाँसी

दिनाँक- 17.02.2026

- **झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही,**
- **थाना सीपरी बाजार पुलिस द्वारा टप्पेबाजी के अभियोग का सफल अनावरण कर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद टप्स पीली धातु मय घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद,**
- **गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया,**

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के कुशल मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा दिनाँक 17.02.2026 को समय करीब 13.46 बजे राजघाट कालोनी पुलिया के पास थाना-सीपरी बाजार से अभियुक्त विजय कुमार अहिरवार पुत्र स्व रघुनाथ उम्र करीब 48 वर्ष निवासी कुमहर्रा, थाना-ओरछा, जिला-निवाड़ी, म0प्र0 को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से थाना सीपरी बाजार क्षेत्रान्तर्गत टप्पेबाजी किये गये 01 अदद टप्स पीली धातु व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद हुई। उक्त टप्पेबाजी के संबंध में थाना सीपरी बाजार में मु0अ0सं0 57/2026 धारा 303(2)/318(4) बीएनएस का अपराध पंजीकृत है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर टप्पेबाजी किये गये टप्स को कब्जे में लेकर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि कर अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 12.02.2026 को सुबह लगभग 10 बजे वादी श्री दिनेश कुमार वर्मा पुत्र रामबाबू निवासी बौद्ध नगर, मसीहागंज, वार्ड-16, थाना-सीपरी बाजार, झाँसी की दादी श्रीमती रनिया देवी उम्र करीब 70 वर्ष घर से बाहर कूड़ा (डायपर) फेंकने जाने पर थोड़ी दूर चलने के बाद एक व्यक्ति बिना नम्बर प्लेट की मोटर साइकिल से आकर वादी की दादी के पैर छूकर बोला कि बुआ कहाँ जा रही हो मेरी मम्मी आपका आगे इंतजार कर रही है फिर बोला कि बुआ तुम्हारे कुंडल अच्छे लग रहे है हमें अपनी मम्मी के लिए बनवाना है मुझे एक कुंडल देदो इसी डिजाइन का बनवाऊंगा। उस व्यक्ति ने अपनी मोटर साइकिल रोड किनारे खड़ी कर देने व वादी की दादी ने उस व्यक्ति को कुंडल दे दिये जाने तथा अपनी गाड़ी पर दादी को बैठकर ले जाने व मोहल्ले वालों ने टोकने पर दादी को मोटर साइकिल से उतारकर भाग जाने के सम्बन्ध में दिनांक 12.02.2026 को थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 57/2026 धारा 303(2) /318(4) बी0एन0एस0 बनाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया । अभियोग के सफल अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त विजय कुमार अहिरवार पुत्र स्व0 रघुनाथ उम्र करीब 48 वर्ष निवासी

कुमहर्रा थाना ओरछा, जिला निवाड़ी, म0प्र0 को टप्पेबाजी किये गये 01 अदद टप्स पीली धातु व घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल सहित गिरफ्तार किया गया। अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी करते हुए अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

- विजय कुमार अहिरवार पुत्र स्व रघुनाथ उम्र करीब 48 वर्ष निवासी कुमहर्रा, थाना-ओरछा, जिला-निवाड़ी, म0प्र0

बरामदगी-

- थाना सीपरी बाजार में पंजीकृत मु0अ0सं0 57/26 से सम्बन्धित बरामद 01 अदद टप्स पीली धातु व घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल

पुलिस टीम का विवरणः-

1. उ0नि0 श्री साजेश कुमार सिंह, चौकी प्रभारी मसीहागंज
2. का0 105 मुकेश सिंह,
3. का0 138 शिवम शुक्ला,